Result Mitra Daily Magazine

भारत में लोकसभा चुनावों की मतगणना प्रक्रिया

चर्चा में क्यों ?

- दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द ही अपने सात चरणों की अवधि पूरी कर लेगी।
- 4 जून को, भारत 2024 के आम चुनावों का फ़ैसला सुनाने की तैयारी करेगा।
- बैरिकेड्स लगाए जाएँगे, मतपेटियाँ खोली जाएँगी, ईवीएम के पेपर ट्रेल्स की जाँच की जाएगी, नतीजों को बराबर किया जाएगा और घोषित किया जाएगा - एक ऐसा फ़ैसला जो 543-निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को फिर से आकार देगा।

मतगणना कौन करता है?

- भारत का चुनाव आयोग मतगणना की तिथि और समय पहले से तय करता है।
- चुनाव प्रक्रिया और मतगणना की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) होता है, जो स्थान की घोषणा करता है और वोटों की संख्या के आधार पर मतगणना केंद्र आवंटित करता है।
- राज्य सरकार के परामर्श से चुनाव आयोग आरओ को नामित करता है, जो आमतौर पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी होता है।

- उस निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी स्कूल, कॉलेज या आरओ का मुख्यालय आम स्थान हैं।
- आरओ की सहायता के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) होते हैं।
- आरओ एक टेबल पर डाक मतपत्रों की गिनती करता है, जबकि एआरओ दूसरी टेबल पर ईवीएम की गिनती का प्रभारी होता है।

रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका

- चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरओ की नियुक्ति की जाती है।
- चुनाव की अवधि के दौरान, आरओ निर्वाचन क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसके पास शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई तरह की शक्तियाँ होती हैं।
- मतगणना के संबंध में, आरओ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:
- मतगणना केंद्रों को नामित करना और उन्हें आयोग से पहले ही अनुमोदित करवाना;
- मतगणना के स्थान, तिथि और समय के बारे में उम्मीदवारों को सूचना भेजना;
- मतगणना कर्मचारियों को नियुक्त करना और उन्हें प्रशिक्षित करना;
- मतों की गिनती करना और परिणाम घोषित करना।
- आरओ खुद सभी वोटों की गिनती नहीं करते हैं, बल्कि कई चरणों में गिनती की पुष्टि करते हैं और परिणाम घोषित करते हैं।
- वे चुनाव में वोटों की गिनती के मामले में अंतिम अधिकारी होते हैं।
- आरओ की सहायता के लिए, चुनाव आयोग सभी कर्तव्यों को पूरा करने में आरओ की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) भी नियुक्त करता है।
- एक निर्वाचन क्षेत्र में कई मतगणना केंद्रों के मामले में, प्रत्येक केंद्र एक एआरओ की देखरेख में होगा।
- निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्त एआरओ की संख्या अलग-अलग हो सकती है।
- सामान्यतः, जिला मजिस्ट्रेट लोकसभा चुनावों में पदेन आरओ होते हैं, जबकि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट राज्य विधानसभा चुनावों में आरओ होते हैं।

उम्मीदवार और मतगणना एजेंट

- मतपत्र पर मौजूद उम्मीदवारों को भी उनके प्रतिनिधियों के साथ मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति है।
- सभी दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करने के लिए मतगणना एजेंट भेजते हैं कि मतों की गिनती निष्पक्ष और प्रक्रिया के अनुसार की जाए, और यदि कोई शिकायत हो तो उसे दर्ज करें।
- ये मतगणना एजेंट मतगणना एजेंटों के लिए पुस्तिका में निर्धारित एक निश्चित कोड से बंधे होते हैं और उन्हें मतगणना प्रक्रिया को बाधित न करने के लिए स्वयं चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना

- यद्यपि मतगणना प्रक्रिया की निगरानी मतगणना एजेंट करते हैं।
- चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो-ऑब्जर्वर होना चाहिए।
- मतगणना टेबल बैरिकेड या तार की जाली के पीछे लगाई जाती हैं, ताकि ईवीएम एजेंटों के लिए शारीरिक रूप से सुलभ न हों, लेकिन वे पूरी प्रक्रिया को देख और जांच सकते हैं।
- निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मतगणना एजेंटों का चयन तीन चरणों वाली यादृच्छिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि चुनाव आयोग ने अपनी पुस्तिका में लिखा है।

ResultMitra

- उदाहरण के लिए, चेन्नई में, निगम आयुक्त जे. राधाकृष्णन ने एक वक्तव्य में बताया कि इस वर्ष यानि 2024 में इस प्रक्रिया के लिए कुल 1,433 अधिकारियों (357 माइक्रो-ऑब्जर्वर, 374 मतगणना पर्यवेक्षक, 380 मतगणना सहायक और 322 कार्यालय सहायक) को चुना गया है।
- यादृच्छिकीकरण के दूसरे चरण में अधिकारियों को संबंधित केंद्रों के बारे में सूचित किया जाता है; इसके बाद मुख्य मतगणना के दिन एजेंटों का अंतिम ड्रा निकाला जाता है।
- साथ ही मतगणना के पूर्व उन्हे प्रशिक्षण दिया जाता है , जिसका घटक ईवीएम के विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील और कैरी केस तथा कंट्रोल यूनिट पर लगी महत्वपूर्ण सील का विधिवत निरीक्षण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बरकरार है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

मतों की गिनती

- मतगणना हॉल में 14 टेबल हैं, जो समानांतर रूप से व्यवस्थित हैं। एक साथ संसदीय और विधानसभा चुनावों के मामले में, पहले सात टेबल का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती के लिए किया जाता है, और बाकी का इस्तेमाल संसदीय चुनावों के लिए किया जाता है।
- मतों की गिनती आरओ की प्रत्यक्ष देखरेख में सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है।
- चुनाव आयोग की 'काउंटिंग एजेंटों के लिए हैंडबुक' के अनुसार, गिनती डाक मतपत्रों (इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र और सामान्य डाक मतपत्र दोनों) की गणना के साथ शुरू होती है।
- पुस्तिका के अनुसार, 30 मिनट के बाद, "ईवीएम की गिनती शुरू हो सकती है और जारी रह सकती है, चाहे डाक मतपत्रों की गिनती का चरण कुछ भी हो"। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट (सीयू), वह हिस्सा जहां वोट दर्ज किए जाते हैं, मतदान केंद्रों से मतगणना हॉल में लाए जाते हैं और मतगणना टेबल पर वितरित किए जाते हैं। यद्यपि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के बीच में दो बटन हैं - 'परिणाम' और 'प्रिंट'
- साथ ही फॉर्म 17 सी में दर्ज वोटों का लेखा-जोखा (जो एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या दर्शाता है) भी प्रदान किया जाता है।
- गौरतलब है कि मतगणना कई चक्रों में होती है; प्रत्येक चक्र के अंत में 14 ईवीएम के परिणाम घोषित किए जाते हैं (समाचार रिपोर्टों में इसे "लीड्स" के रूप में दर्शाया जाता है।)

सुरक्षा

- आम तौर पर सशस्त्र बल मतगणना कक्षों में प्रवेश नहीं करते हैं,
- वे मतगणना कक्ष में सुरक्षा की कई परतों को बनाए रखने के प्रभारी होते हैं, साथ ही उस रास्ते पर भी जिसके माध्यम से ईवीएम को उनके स्ट्रांग रूम (जहां मतदान के बाद ईवीएम संग्रहीत किया जाता है) से मतगणना कक्षों तक लाया जाता है।
- सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा बल निर्वाचन क्षेत्र के आरओ के अधिकार क्षेत्र में होते हैं।

ResultMitra